Shortage of Currency Notes in Madhya Pradesh

3771. SHRI SURESH PACHOURI:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, recently, there was shortage of currency notes in Madhya Pradesh and the Reserve Bank did not make available currency notes to the State at the desired level;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government have taken to remove the scarcity of currency notes in Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DAL-BIR SINGH): (a) and (b) Reserve Bank of India have informed that there was no shortage of currency notes in Madhya Pradesh. However, some complaints were received about inadequacy of fresh notes in higher denominations in some districts of Madhya Pradesh.

(c) Immediate arrangements were made by the Reserve Bank to provide funds to the currency chests in the concerned districts, either by diversion of funds from surplus chests to deficit chests and/or supplies from the RBI offices.

निजी क्षेत्र द्वारा बंधित भाण्डागारों का चलाया जाना

@3772. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को बंधित भांडागार संचालित करने की अनुमति दी है ;

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 3332, 7 अगस्त, 1992 से स्थानांतरित ।

(ख) क्या देश में सारे बंधित भांडागार केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा संचालित किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से संभावित देय राशि की गैर-अदायगी की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार द्वारा निजी पार्टियों को बंधित भांडागार संचालित करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ।

(ख) सीमाशुल्क बंधित भांडागार-केन्द्रीय भांडागार निगम, राज्य भांडागार निगमों और निजी पार्टियों द्वारा जहां अनुमति दी जाए, चलाए जा रहे हैं।

(ग) निजी बंधित भांडागारों की स्थापना के लिए लाइसेंस उन मामलों में प्रदान किए जाते हैं जहां:—

(i) केन्द्रीय भांडागार निगम अथवा राज्य भांडागार निगम अपेक्षित गोदाम सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं ;

(ii) आयातित माल के लिए विशेष भंडारण परिस्थितियां आवश्यक हों;

(iii) माल खतरनाक/विस्फोटक स्वरूप का हो ;

(iv) माल को चौबीसों घंटे आवश्यकता हो; अथवा

(v) माल निर्यातोन्मुख उद्योगों के उपयोग में लाया जाए ।

जहां तक सरकार को देय राशियों का संबंध है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के द्वारा राजस्व हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा होती है । भण्डारण के लिए एक बार प्रवेश किए गए माल की विशिष्ट सांविधिक अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि के भीतर निकासी किया जाना अपेक्षित होता है, ऐसा न करने पर माल के भण्डारण के समय निष्पादित किए गए बांड सीमाशुल्क अधिनियम,